15.04.2021

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्द सुमन उपस्थित। अप्रार्थी नगर परिषद की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई कि धारा 327 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत जिला कलेक्टर के अधिकार राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक/प.8(क)( )नियम डीएलबी/8226 दिनांक 31.03.2010 द्वारा जिला कलक्टर से वापिस ले लिए गए है। अतः इस निगरानी को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के पृष्ठ संख्या 186 का अवलोकन किया गया एवं आदेश 7 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों एवं न्यायालय की लाईब्रेरी में उपलब्ध विधिक दृष्टान्त A.I.R. 1987 S.C. 1947 A.I.R. 1959 Manipur9 A.I.R. 1973 Him.Pra.25 A.I.R. 1972 Guj.280 A.I.R. 1972 J&K 1(F.B.) A.I.R. 1989 Ker.28 A.I.R. 1962 Guj.296 के विधिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया एवं इन विधिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक पालना करने हेतु यह न्यायालय बाध्य है। चूंकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में क्षेत्राधिकार के भिनाय पर किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में इस निगरानी प्रार्थना पत्र को राज्य सरकार की अधिसूचना 31.03.2010 के तहत सुनने का क्षेत्रााधिकार नहीं होने से मूल निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रार्थी को लौटाए जाने के आदेश दिए जाते है एवं तहसीलदार सिरोही को निर्देश दिए जाते है कि एक माह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाई अपने स्तर पर करें। निगरानी प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति पत्रावली में बतौर अभिलेख रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:18:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner